इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. एफ 15-64-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें), नियम 2005 में, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 17 अगस्त 2015 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (7) में,—

(क) मद क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(2) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (गायन/वादन शिक्षक) के लिए न्यूनतम अर्हता, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मुक्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्था से गायन/वादन या समकक्ष में चार वर्षीय डिप्लोमा."

स्पष्टीकरण.—गायन/वादन योग्यता के अतिरिक्त चार वर्षीय डिप्लोमा से उच्च योग्यता बी. म्यूज/एम. म्यूज/विद्/कोविद्/रत्न भी मान्य की जाएगी;

(ख) मद क्रमांक (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(3) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिये न्यूनतम अर्हता, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ

हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा.

स्पष्टीकरण.—शारीरिक शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा के अतिरिक्त उच्च योग्यता बी. पीएड./एम. पीएड./ जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त हो, भी मान्य की जाएगी.".

2. यह संशोधन इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

NOTIFICATION

No. F 15-64-2015-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and conditions of contract) Rules, 2005 the same haveing been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August 2015 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Schedule—II, in serial number 3, in column (7),—

(a) For item No. 2, the following item shall be substituted, namely :—

"2. The minimum qualification for Samvida Shala Shikshak Grade-3 (Vocal/Instrumental Teacher) shall be Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Four years Diploma in Vocal/Instrumental or equivalent from any college/Institution recognized by the University Grant Commission/Open University.

Explanation.;—Higher Education apart from Four years Diploma in Vocal/Instrumental like B.Mus/ M.Mus/Vid/Kovid/Ratan may also be considered.";

(b) For item No. 3, the following item shall be substituted, namely :—

"3. The minimum qualification for Samvida Shala Shikshak Grade-3 (Physical Instructor) shall be Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Diploma in Physical Education Examination from any college/Institution recognized by NCTE.

Explanation.;—Higher Education apart from Diploma in Physical Education Examination like B.PED/ M.PEd recognized from NCTE may also be considered.";

2. This amendments shall come into force from the date of publication of this notice in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.